प्रारम्भिक डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मावली जिला उदयपुर

उनवान

1. श्री चन्द्रप्रकाश पिता चान्दमल सिंयाल निवासी मावली तह. मावली।

..........वादी

बनाम

1. श्रीमती मीनाक्षी पुत्री रामसिंह पत्नी कपिल कुमार सिंह राजपूत निवासी चांदपोल उदयपुर हाल भट्टियानी चौहटा उदयपुर।
2. पटवारी पटवार हल्का खरताणा तह. मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा0 मावली त0 मावली जिला उदयपुर (राज0)।

..........प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– 53 रा.का.अधि.
मुकदमा नम्बर : 23 / 17 वाद
निर्णय दिनांक : 10.02.18

वादी एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.02.2018 को जितेन्द्र ओझा, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि – मौजा धनेरिया पटवार हल्का खरताणा की आराजी न. 1260, 1261, 1262, 1263 किता 4 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि का राजस्व रेकार्ड में अंकित पक्षकारान के मध्य हिस्से एवं कब्जे के आधार पर बंटवाडा प्रस्तावित किया जावें। बंटवाडा प्रस्ताव हेतु तहसीलदार मावली को 500/– रूपया कमिश्नर शुल्क पर बंटवाडा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता हैं कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्तावित किया जावें। पक्षकारान के आने जाने हेतु रास्ता भी प्रस्तावित किया जावें। बंटवाडा सूची, लगान सूची, नक्शा ट्रेस दो–दो प्रतियों में पेश किया जावें। रा.का.अधि. में वर्णित प्रावधानों का पूर्ण रूपेण पालन किया जावें। फीस कमिश्नर वादी मौके पर अदा करें।

यह आज तारीख 10.02.18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जितेन्द्र ओझा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर मावली